संख्या– 1582 /XVIII(1)/2010-1/2005

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2010

विषयः–जनपद उधमसिंहनगर के तहसील गदरपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–427/नौ–हे0ना0/2010 दिनांक 02 नवम्बर, 2010, शासनादेश संख्या–93/18(1)/2006 दिनांक 28 जून, .2006 एवं शासनादेश संख्या–229/XVIII(1)/2009-1/2005 दिनांक 23 मार्च, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रश्नगत कार्य हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत रू0 119.49 लाख सापेक्ष शासन द्वारा अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 93.54 लाख के उपयोग कर लिए जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010–11 में तहसील गदरपुर के अनावासीय/कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार अवशेष धनराशि रू0 25,95,000/– (रू0 पचीस लाख पिचानवे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।
2. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्श के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
3. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।
6. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही उपयोग में लाया जाय। निर्माण कार्य समय से पूर्ण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाय।

–2

G.O.

8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2011 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय भौतिक प्रगति का विरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें।

2– उक्त व्यय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–139P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2010 दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संख्या–1582(1)/XVIII(1)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–1582/XVIII(1)/2010-1/2005 दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	कार्य की लागत (लाख में)	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि (लाख में)	वर्ष 2010–11 में स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख में)
1.	जनपद उधमसिंहनगर के तहसील गदरपुर के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उधमसिंहनगर	119.49	93.54	25.95
	योग		119.49	93.54	25.95

(रू0 पचीस लाख पिचानवे हजार मात्र)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव